28

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः /XVII-3/12–07(45)/2007

प्रेषक,

बी0आर0 टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–3, **देहरादूनः** **दिनांकः** 30 मार्च, 2012

विषयः **वित्तीय वर्ष 2011–12 में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–4143/स0क0/मे0क0मी0छ0/रिनेवल/2011–12 दिनांक 12 मार्च, 2012 के साथ संलग्न भारत सरकार के क्रमशः पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2012 एवं 01 दिसम्बर, 2011 एवं पत्र संख्या 4416/स0क0/ले0खा0–बजट/पुनर्विनियोग–प्रस्ताव/2011–12 दिनांक 26 मार्च, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मैरिट कम मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत रिनेवल छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 80 रिनेवल छात्रों हेतु धनराशि **₹ 24,76,460.00 (₹ चौबीस लाख छिहत्तर हजार चार सौ साठ मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–15 के **"आयोजनागत"** पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से उपरोक्त प्रस्तर–01 में उल्लिखित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र–छात्राओं के लिए मैरिट कम मीन्स योजनान्तर्गत **₹ 13,57,260/– (₹ तेरह लाख सत्तावन हजार दो सौ साठ मात्र)** तथा संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार संगत मद में पुनर्विनियोजित धनराशि ₹ 11.20 लाख के सापेक्ष धनराशि **₹ 11,19,200/–** इस प्रकार **(₹11,19,200+₹13,57,260) कुल धनराशि ₹ 24,76,460/– (₹ चौबीस लाख छियत्तर हजार चार सौ साठ मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(I) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के संगत दिशा–निर्देशों के आलोक में नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्धारित समयान्तर्गत भारत सरकार एवं शासन को उपयोगिता प्रमाण–पत्र भी प्रेषित किया जायेगा।

(II) आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवचनद्व मदों में से व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(III) उक्त आवंटित धनराशि किसी मद पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

(IV) किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) के आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(V) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहें वो वेतन आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या–15 "आयोजनागत्" शब्द स्पष्ट किया जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

(VI) वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

(VII) मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययता/अबचनवद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति कराना सुनिश्चित करें।

(VIII) अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(IX) उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

(X) बी0एम0–13 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्यय की अनुदान संख्या–15 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवाएं–00–आयोजनागत–800–अन्यव्यय–01–केन्द्रीयआयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं –0103–अल्पसंख्यक छात्रों के लिए स्नातक एवं मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केनद्र सहायतित) के मानक मद 21–छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन के नामे डाला जायेगा तथा **संलग्न प्रारूप बी0एम0–15 के पुनर्विनियोजन कालम–1 की बचतो से वहन किया जायेगा।**

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या– 479 (P)/XXVII(3)/2011-12 दिनांक 30 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

पृष्ठाकन संख्याः 297 (1)/XVII–3/2012–07(45)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला समाज कल्याण, अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. सहायक निदेशक, भारत सरकार, अल्प संख्यक कार्य मत्रांलय नई दिल्ली को उनके क्रमशः पत्र दिनांक 13 फरवरी, 2012 एवं 01 दिसम्बर, 2011 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
12. बजट, राजकोषीय नियोजन व संसाधन नि0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।